



OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED

COMPANY SECRETARIAT

ONGC/CS/SE/2025-26

03.04.2025

National Stock Exchange of India Ltd.

Listing Department
Exchange Plaza
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

BSE Limited

Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001

Symbol-**ONGC**; Series – **EQ**

BSE Security Code Equity: **500312**
NCDs: **959844, 959881**

Sub: Newspaper clippings of Postal Ballot Notice and Remote E-voting

Madam/ Sir,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed copies of Newspaper clippings published in the newspapers with respect to dispatch of Postal Ballot Notice.

The said notice was published in "Indian Express" in English language and "Jansatta" in Hindi language. (All India Editions).

This is for your information and record, please.

Thanking You,
Yours Sincerely,
For Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Rajni Kant
Company Secretary & Compliance Officer



Delhi Chief Minister Rekha Gupta offers prayers at Jhandewalan Temple in New Delhi, on Wednesday. Amit Mehra

CM announces policy to issue PUCCs for vehicles entering Capital from other states

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 2

CHIEF MINISTER Rekha Gupta said Wednesday that her government will introduce a new policy for issuing Pollution Under Control Certificate (PUC) to vehicles entering Delhi from other states.

Her statement in the Assembly came a day after she tabled the Comptroller and Auditor General (CAG) report on Vehicular Air Pollution in Delhi, which pointed out flaws and irregularities in the way these certificates were issued.

"The previous government failed to establish an effective vehicle monitoring system, particularly for the numerous vehicles entering Delhi borders on a daily basis. There were no mechanisms to track their pollution levels or adhere to environmental standards. Our government will implement a policy mandating pollution certification for all vehicles entering Delhi," she said.

"Additionally, irregularities in vehicle registration, renewal,

and pollution certification processes -- previously plagued by corruption -- will be eliminated. These procedures will be subjected to a third-party audit to ensure transparency and authenticity," Gupta added.

All vehicles plying in Delhi are required to have valid PUC certificates. Challans are issued if they either don't have the certificate or if the certificate is old.

Gupta, meanwhile, announced an expansion of electric vehicle (EV) charging infrastructure in Delhi. She said the city will have 48,000 charging

points -- 18,000 government-operated and 30,000 semi-private -- by 2026. The city will also get six new air quality monitoring centres. Delhi, with 39 stations, is the most monitored city in the country in terms of air quality.

Gupta further said that a new eco-park will be set up to process electronic waste and control pollution caused by improper disposal of e-waste. "These steps are crucial in strengthening Delhi's fight against pollution, ensuring stricter enforcement and better infrastructure," she added.

'Not enough funds... how can they be spent': LoP Atishi slams Delhi Budget

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 2

TERMING IT historic because it was "the biggest lie" to ever have been told in the Delhi Legislative Assembly, Leader of Opposition Atishi on Wednesday accused the BJP of having tabled an inflated Budget of Rs 1 lakh crore.

Alleging that the Delhi government neither had nor could have enough means to collect revenue worth Rs 1 lakh crore, Atishi sought to underline what she alleged were lacunae under various budgetary heads. "If you look at statistics related to tax, there will be collections of at least Rs 5,000 crore less, Rs 10,000 crore less in loans, and the Union government has not kept even a single rupee in its Budget for the Delhi govern-



LoP Atishi protests at the Assembly. Amit Mehra

ment," she told mediapersons. "I had personally estimated that the Delhi government's Budget is actually Rs 78,000 crore but the government's own documents, which I am going to present today, will prove that its own finance department knows that it has only Rs 60,000 crore and not Rs 1 lakh crore or even Rs 78,000

crore," she alleged. Referring to a Delhi Finance department order issued on March 31, Atishi questioned why it had capped expenditure by various departments to 5% of their total budgetary allocation for April.

The document, which Atishi later shared on her X account, stated, "...Considering the mapping of expenditure with the resources of Government of NCT of Delhi and for better cash management, the expenditure during the month of April, 2025 is capped at 5% of the total budget allocation in BE 2025-26 under the respective budget heads." Expenditures to be incurred on account of salaries, allowances, and wages will be exempted, the order added.

"Administrative Secretaries (and) Head of Department... while issuing the expenditure sanction

may make sure that during the month of April, 2025; the expenditure should not exceed 5% of total allocated budget under the respective heads for the financial year 2025-26," it stated.

Atishi said, "Five per cent of Rs 1 lakh crore is Rs 5,000 crore, which, if spent per month, means that the Budget amounts to Rs 60,000 crore... this means that the government knows that it does not have enough means for a Budget over this amount."

"I am not saying this, the AAP is not saying this, the finance department is saying so. The BJP government's lie has been exposed by its own department... when there aren't enough funds, how can they be spent," she added.

Several attempts to seek the government's response to Atishi's allegations were unsuccessful.

Ex-director of firm under liquidation arrested in cheating case

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 2

A FORMER director of a once prominent meat exporting firm, currently under liquidation, was arrested last month for allegedly swindling money taken as loan in the name of the company and selling homes on mortgaged land, the Delhi Police said on Wednesday.

The police identified the accused as Moshin Mohammad, the former director of MK Overseas Private Limited.

In 2021, Yes Bank had filed a police complaint against MK Overseas, accusing it of taking loans worth Rs 95 crore in 2016. Using the money,

Moshin allegedly constructed flats on company-owned land that he had mortgaged to Yes Bank while taking the loan.

"The company mortgaged one of its properties located on 19C, Ansari Road, Daryaganj in Delhi. Between March 2018 and May 2019, at the behest of the accused, flats were constructed on this land and sold to innocent homebuyers without disclosing that the same was not free from encumbrances. A sum of Rs 13 crore was collected through such fraudulent sales," said Additional CP (EOW) Amrutha Gugloth.

Moshin was allegedly opened an account in a cooperative bank, where he transferred the money and subsequently withdrew Rs 3.33 crore.

Since 2021, he has been evading the police by changing SIM cards and cellphones, said police.

Power cuts in Delhi are minor and localised, say discoms

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, APRIL 2

POWER DISTRIBUTION companies called reports of outages from across Delhi "false and misleading" and "intended to fabricate a false narrative." They also, however, said the disturbances were "minor and localised" and many could be attributed to "maintenance issues". The statements came even as residents reported power cuts from across the city for the fourth day running.

A statement from BSES said the city's peak power demand has remained stable, ranging between 4,070-4,360 MW since March 25. "BSES discoms are ensuring a seamless, reliable, and quality

power supply, successfully meeting Delhi's winter electricity demand," the statement read.

The Aam Aadmi Party (AAP) and the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) have been locked in a war of words over the issue, with the matter being raised in the Delhi Assembly on Tuesday. Power Minister Ashish Sood said in the House that maintenance of the power grid was behind some outages.

In its statement on Wednesday, BSES said, "Power supply across our network is normal and continues to be reliable. Minor, localised disruptions -- an inherent aspect of power distribution -- may occasionally occur, but these are swiftly addressed. At times, power outages also take

place on account of maintenance, which is essential to the smooth functioning of the network."

Tata Power-DDL, meanwhile, attributed the power cuts to a delayed maintenance schedule.

The discom, which supplies power to North Delhi, said it typically conducts maintenance and network upgradation work between October and March. "But this year, due to GRAP restrictions in November and December 2024, our scheduled maintenance/network upgradation outage plan was amplified in March... Each year, Tata Power-DDL enhances and expands its network to effectively address the continuously rising demand driven by population growth and the increased electricity consumption

resulting from lifestyle changes, such as the use of appliances like air conditioners," it said.

Giving details of "planned cuts", the discom said, "(in) Delhi University, no power cuts were seen in the last one week; in Kirari, there were seven planned shutdowns of average 1 hour for system improvement schemes... Rohini Sector 22 saw one planned shutdown of six hours... to augment the distribution transformer. Burari saw nine planned shutdowns over a week, each averaging three hours..." Residents, however, continued to post complaints on social media, alleging they were not informed.

The discoms earlier said they were anticipating a spike in peak power demand this summer.

Delhi Police set to move court to declare 'drug kingpin' Virendra Basoiya proclaimed offender

PRAGYNESH
NEW DELHI, APRIL 2

THE DELHI Police is set to begin proceedings to have Dubai-based Indian businessman and alleged drug kingpin Virendra Basoiya, accused of running a cartel that smuggled 1,289 kg of cocaine into India last year, declared a proclaimed offender (PO) by a court, an official from the Special Cell said.

At least four more accused named in the case will also have PO declaration proceedings initiated against them, with some of them in direct touch with Basoiya,

the officer added.

NDPS Special Judge Sudhir Kumar Sirohi of the Patiala House Court had earlier issued a non-bailable warrant against Basoiya following a series of cocaine seizures last year.

On October 1, 2024, 562 kg of cocaine was seized at Mahipalpur in South Delhi. Delhi-based henchman Tushar Goyal was arrested along with three others. On October 10, 208 kg of cocaine was recovered from a shop at Ramesh Nagar in West Delhi.

The third seizure was made on October 13, when Special Cell and Gujarat Police recovered 518 kg of cocaine -- worth Rs 5,000 crore in

the international market -- during a raid at firm Aavkar Drugs in Gujarat's Ankleshwar. Five persons were arrested, including three of the company's directors -- Ashwin Keshubhai Ramani, Brijesh Kothia and Vijay Keshav Bhesania.

The other two men arrested were Mayur, an employee of a fake company named Pharma Solutions Services, and middleman Amit Masuria, who allegedly aided the meeting between representatives of the two firms.

According to the Special Cell, 1,289 kg of cocaine and 40 kg of hydroponic Thailand marijuana, worth Rs 13,000 crore, have been

recovered in this case so far. The police said it was all part of a consignment that the cartel operated by Basoiya allegedly smuggled in.

"The drugs came to India at multiple locations from South America via Dubai. They were to arrive at Aavkar in multiple consignments by road to be refined and processed. Then they were transported as medicine packages of Pharma Solutions Services again via road to Delhi-NCR," an officer said.

"During the probe, it was found that the drugs belonged to Pharma Solutions Services and came from Aavkar Drugs," the officer added.

गति शक्ति विश्वविद्यालय
गति शक्ति विश्वविद्यालय
GATI SHAKTI VISHWAVIDYALAYA
(A Central University under the Ministry of Railways, Government of India)
लालबाग, वडोदरा, गुजरात / Lalbaug, Vadodara, Gujarat 390004

Ref: GSV/REG/ADM/NonTeaching/2025 03/04/2025

RECRUITMENT TO THE POST OF REGISTRAR

Online applications are invited from eligible Indian Citizens for the post of Registrar (Level-14) to be filled by direct recruitment/deputation. Submission of online application will start from 3rd April, 2025 and will close on 2nd May, 2025.

For detailed advertisement and to apply, visit <https://gsv.ac.in/careers/> or scan the QR code below:

Registrar

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, GST DELHI- NORTH, C.R. BUILDING, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110109

OFFICE SPACE REQUIRED ON HIRE

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX, GST DELHI- NORTH requires suitable building / space of approx.23,315 sqft. area with adequate parking facility, for its divisional offices on rent in Delhi. Detailed terms and conditions of the Tender are available, in public domain, at websites <https://gem.gov.in> and <https://gstdelhizone.gov.in/new-pdfs/Tender-for-New-Office-Building.pdf> Interested person may submit their bids, complete in all respects, online only at the above website of GeM Portal. Last date for submitting bids online is 14-04-2025 till 04:00 PM.

Sd/-
Assistant Commissioner

Mahatma Phule Renewable Energy and Infrastructure Technology Limited
(Subsidiary of MPBCDC, a Government of Maharashtra undertaking)

RFQ NOTICE

MAHAPREIT invites e-RFO for selection and empanelment of agencies for Project Expert Consultancy and Transaction Related Advisory (PECTRA) to call RFP therefrom for the following activities-

(a) Project Expert Consultancy and Transaction Related Advisory (International) (PECTRA-I) at various dept and agencies of Government of India (GOI) and respective govt. of various countries globally having bilateral or multilateral relations with India under enabling provisions of such bilateral relations /agreements/ treaties in the field of (i) Renewable Energy, (ii) Sustainable Development and Climate Change with ESG goals compliances set by GOI or such international agencies wherein GOI is signatory, (iii) Affordable Housing and (iv) Infrastructure projects as defined by concerned regulatory authorities in India.

(b) Project Expert Consultancy and Transaction Related Advisory (States) (PECTRA-S) at various dept and agencies of govt of India or respective State Govt in India in the field of (i) Renewable Energy, (ii) Sustainable Development and Climate Change with ESG goals compliances set by GOI (iii) Affordable Housing and (iv) Infrastructure projects as defined by concerned regulatory authorities in India.

Interested bidder may submit their proposal from 03rd April 2025 to 23rd April 2025 at 15.00 Hrs. Details of RFO can be viewed on <https://mahapreit.in/> and <https://mahatenders.gov.in/>.

Executive Director (Operations)

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida-201301 (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.in

सार्वजनिक सूचना

निर्माणधीन एलिवेटेड मार्ग पर सेक्टर-107, 47, बरोला, सलारपुर वाले चौराहे पर स्टील गार्डर लॉन्चिंग किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 02.04.2025 से 30.04.2025 तक यातायात के सुचारु संचालन हेतु निम्न व्यवस्था की गई है :-

1. विद्युत्कर्म मार्ग पर सेक्टर-62 से हाजीपुर अण्डरपास की तरफ जाने वाले वाहन मंगेल एलिवेटेड मार्ग के पीयर संख्या 60 से बायीं ओर व पुनः पीयर संख्या 80-81 के मध्य से दाये मुड़कर 45.00मी. मार्ग से होते हुए स्टालिंग मार्ग की ओर जायेंगे।

2. विद्युत्कर्म मार्ग पर हाजीपुर अण्डरपास से सेक्टर-62 की तरफ जाने वाले वाहन Prateek Edifice Society की रेड लाईट क्रॉसिंग से बायीं तरफ व सेक्टर-47 रेड लाईट क्रॉसिंग से दायीं ओर जागरण पब्लिक स्कूल के समुख मार्ग से होते हुए मंगेल एलिवेटेड मार्ग के पीयर संख्या 52 व 53 के मध्य से दाये मुड़कर जायेंगे।

3. उक्त यातायात व्यवस्था में मंगेल एलिवेटेड मार्ग के पीयर संख्या 59 व 60 के मध्य से Prateek Edifice Society के समुख रेड लाईट क्रॉसिंग तक मार्ग को पूर्ण रूप से यातायात के अभावमन हेतु बन्द रहेगा।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्फिस-8, नौएडा
स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

EXPRESS
Careers

NICMAR UNIVERSITY PUNE

Pioneers in Built Environment Education

TEACHING/NON-TEACHING RECRUITMENT

NICMAR University, Pune (Established under Maharashtra State Private University Act, Maharashtra Act No. XXXVI of 2022) invites applications from academia and industry for various teaching and non-teaching positions.

For detailed job description, qualifications, eligibility criteria, general instructions, online application form, and other relevant information login to <https://www.nicmar.ac.in/pune-campus/careers>

LAST DATE TO APPLY: 20th APRIL, 2025

Only Online application form as available on website will be accepted and no other mode of applications will be entertained.

NICMAR University, Pune
25/1, N.I.A Post office,
Balewadi, Pune - 411045, Maharashtra

VIDYA PRATISHTHAN

Vidyanagari, MIDC, Tal. Baramati, Dist. Pune - 413133 Tel No: 02112 - 239140; 239160 Fax No: 02112-239159 Website: www.vidyapratishthan.com; Email ID: vpbaramati@yahoo.co.in

WANTED

Applications are invited from eligible candidates for the following post :-

| Name of the College | Design. | Nos of Post & Category |
|---|-----------------|------------------------|
| Vidya Pratishthan's Vasantrao Pawar Law College, Baramati | Principal Aided | 01 (Open to All) |

NOC for the post is issued by the State Government of Maharashtra being Granted College. College is affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune.

1. Educational Qualifications: Minimum Qualifications & Pay - Scale and Service conditions are as prescribed by the UGC, State Govt. of Maharashtra and Savitribai Phule Pune University, Pune.

2. Reserved category candidates should send one copy of their application to the Deputy Registrar, Reservation Cell, Savitribai Phule Pune University, Pune.

3. Physically Handicapped & Women Reservation is applicable as per Government Norms.

4. Candidate should submit their API record & score as per the requirement by SPPU Pune. The appointment of the said post will be for a tenure of five years from the date of appointment or upto the attainment of Superannuation whichever is earlier.

5. Those who are already in service should apply through proper channel.

6. TA & DA will not be paid for attending the interview.

7. Application should apply and submit a hard copy of the application form and resume with attested copies of all certificates which should reach on the above mention address within 15 days from the date of publication of this advertisement by post to the undersigned.

Visit website - www.vidyapratishthan.com

Secretary, Vidya Pratishthan

विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया एलान

दिल्ली सरकार खरीदेगी 2,800 नई बसें

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अप्रैल।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री-महालेखापरीक्षक की रफ्त पर चर्चा का जवाब देते हुए घोषणा की कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के बेड़े में 2026 तक बसों की संख्या को बढ़ाकर 11 हजार करने पर काम करेगी। दिल्ली सरकार 2800 नई बसें खरीदेगी और हम दिल्ली को अगले साल तक 11 हजार बसें देंगे।

मुख्यमंत्री ने सदन में जानकारी दी कि दिल्ली में मौजूदा समय में 6484 बसें हैं। बाकी बसों की जरूरत को पूरा करने का काम दिल्ली सरकार, केंद्र के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने



राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग के बुनियादी ढांचे में भी महत्त्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की और कहा कि दिल्ली में 2026 तक 48 हजार ईवी

मुख्यमंत्री ने कहा, राजधानी में 2026 तक 48 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें 18 हजार सरकारी और 30 हजार अर्ध सरकारी होंगे। जिसका बड़ा फायदा ईवी वाहनों को मिल सकेगा। साथ ही छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें 18 हजार सरकारी और 30 हजार अर्ध सरकारी होंगे। जिसका बड़ा फायदा ईवी वाहनों को मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण की निगरानी और उसकी रोकथाम को

मजबूती प्रदान करने के लिए छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए समर्पित एक नया इको-पार्क स्थापित करने की योजना का भी खुलासा किया, जिसका उद्देश्य ई-कचरे के अनुचित निपटान से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकना है। निर्माण एवं विध्वंस (सीएडडी) कचरा स्टेशन की क्षमता को एक हजार टन बढ़ाने पर काम किया जाएगा। रेखा गुप्ता ने कैंग रफ्ट पर कहा, 'ये कदम प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई को मजबूत करने, सख्त प्रवर्तन और बेहतर बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण है।' दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार एक चुनौती बना हुआ है, इसलिए सरकार के नवीनतम उपायों का उद्देश्य नीतिगत कमियों को दूर करना है।

आग की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया कदम

सभी सरकारी इमारतों की होगी अग्नि सुरक्षा जांच

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अप्रैल।

दिल्ली में आग की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भाजपा सरकार ने अपनी सभी इमारतों, खासकर अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के निर्देश दिए हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच का काम दिल्ली सरकार को लोक निर्माण विभाग करेगा। इस पूरी लेखा परीक्षा (आडिट) प्रक्रिया को आगामी 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव के आदेश पर बुधवार को परिपत्र जारी कर दिया गया है।

आदेश के मुताबिक अग्नि सुरक्षा उपायों की जांच पड़ताल के दौरान 'फायर अलार्म', स्प्रिंकलर सिस्टम (पानी का छिड़काव करने

सरकारी भवनों में अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र आदि प्रमुख रूप से शामिल पीडब्ल्यूडी ने लेखा परीक्षा (आडिट) प्रक्रिया को 15 अप्रैल तक पूरा करने के लिए निर्देश।

वाले यंत्र) और अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता और कार्यक्षमता का सत्यापन किया जाएगा। अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा (आडिट) का खास महत्त्व मौजूदा सुरक्षा उपायों का आकलन करना, संभावित खतरों की पहचान करना और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करना है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को 'फायर डिटैक्शन और अलार्म' प्रणाली की जांच के लिए अग्नि सुरक्षा उपकरणों के नियमित परीक्षण और रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सदन में गूजा पानी के बढ़े बिलों का मुद्दा; जलमंत्री ने कहा, नहीं कटेगा कनेक्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 2 अप्रैल।

दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को दिल्लीवालों के पानी के गलत बिलों का मुद्दा उठाया गया। भाजपा विधायक उमंग बजाज ने नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख में यह मामला उठाया, जिस पर करीब 14 सदस्यों ने अपना वक्तव्य सदन में रखा।

इस मामले को दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने गंभीर मानते हुए सदन को आश्चर्य नहीं किया कि दिल्ली सरकार जब तक इस समस्या का समाधान नहीं कर देती, तब तक किसी भी उपभोक्ता का पानी का

कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इन मुद्दों का जवाब देते हुए जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार पर भी जमकर निशाना साधा।

उन्होंने कहा कि जो लोग दस साल सत्ता में रहे हैं। उनकी तरफ से पैदा की गई समस्या को दूर करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि 100 गज और 25 गज के मकानों में लाखों के बिल आ रहे हैं।

ऐसा तब की सरकारों ने लोगों को धमकाने के लिए किया था। तरविंद सिंह मारवाहा का जिक्र करते हुए मंत्री वर्मा ने कहा कि सदस्य कह रहे थे कि हमारे मान-सम्मान की रक्षा की जाए। उन्हें कहना चाहता हूँ मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा।

कपिल मिश्रा के खिलाफ सदन में हंगामा, विपक्ष के 12 सदस्यों को मार्शल ने बाहर निकाला

नई दिल्ली, 2 अप्रैल (संवाददाता)।

उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों में कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की जांच के लिए एक अदालत ने मंगलवार को प्रथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है।

दिल्ली विधानसभा में बुधवार को मंत्री कपिल मिश्रा के इस्तीफा की मांग की

लेकर विपक्ष ने जमकर शोर शराबा और हंगामा किया जिसके चलते अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 12 सदस्यों को सदन से मार्शल के जरिए बाहर करा दिया। आप के बाकी सदस्य विरोध करते हुए सदन से खुद ही बाहर चले गए। विधानसभा की कार्यवाही आदेश दिए थे। इस आदेश के बाद दिल्ली की सियासत गरमा गई है।

कुलदीप कुमार ने पोस्टर निकाल कर सदन में लहराने का प्रयास किया जिसके तुरंत बाद अध्यक्ष ने सदन को कार्यवाही में बाधा डालने के चलते उनको मार्शल से बाहर करा का आदेश दिया। इसके बाद संजोहन झा, सहोदरम पहलवान, प्रेम कुमार चौहान, विशेष रवि, मुकेश अहलावत, आतिशी, आले मोहम्मद इकबाल, जरील सिंह, अनिल झा, सुरेंद्र कुमार और सोमदत्त को बाहर किया गया।

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी
कक्षावाला शाखा
142/116, मेन घेवरा रोड, कक्षावाला,
दिल्ली 110081

वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

पंजीकृत डाक द्वारा 07/03/2025 को भेजा गया।
1. श्री हिमांशु कुमार मोहंरवाल पुत्र श्री सुंदर सिंह, पता: सी-1/44, प्रथम तल, सेक्टर 15, सोहिणी दिल्ली 110089 और सी-4/21, द्वितीय तल, सेक्टर 15, सोहिणी, दिल्ली 110089

2. श्रीमती अनुष्का पत्नी श्री हिमांशु कुमार मोहंरवाल, पता: सी-1/44, प्रथम तल, सेक्टर 15, सोहिणी दिल्ली 110089 और सी-4/21, द्वितीय तल, सेक्टर 15, सोहिणी, दिल्ली 110089

विषय: ऋण खाता 6663382538 इंडियन बैंक कक्षावाला शाखा के साथ - पंजीकृत आपने 06/03/2025 से पुनर्निर्माण की तिथि तक सहमत दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ 40,17,775 रुपये के ऋण की अदायगी में चूक की है।

बैंक ने 06/03/2025 को अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जिसमें आपको 06/03/2025 तक बकाया 40,17,775 रुपये चुकाने के लिए कहा गया है। यह नोटिस आपको पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, जिसे बिना तामील किए वापस कर दिया गया है। इसकी एक प्रति सी-4/21, द्वितीय तल, सेक्टर 15, सोहिणी, दिल्ली 110089 पर चिपकाई गई है।

आपको इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर 06/03/2025 से मूगतान की तिथि तक ब्याज सहित 40,17,775 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। ऐसा न करने पर बैंक नीचे दी गई अनुसूची में दी गई सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध सूझा हित के प्रवर्तन के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा। यह नोटिस सुरक्षित ऋणदाता के लिए उपलब्ध किसी अन्य अधिकार/उपचार पर प्रतिभूति प्रमाण खाले बिना है।

हम आपको ध्यान सरकारी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की ओर आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके मोचन के अधिकारों से संबंधित हैं।

अनुसूची
जिन परिसंपत्तियों में सुरक्षा हित सृजित किए गए हैं, उनका विशिष्ट विवरण नीचे दिया गया है:

बंधक परिसंपत्तियों
संपत्ति का विवरण -

पूरा: आवासीय दूसरी मंजिल, बिना छत के अधिकार निर्मित संपत्ति सं. 21, क्षेत्रफल 48.00 वर्ग मीटर ब्लॉक संख्या सी. पीकेट संख्या-4, सेक्टर 15, सोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान में, सोहिणी नई दिल्ली 110089, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार के साथ क्षेत्रफल- 48 वर्ग मीटर। नोटिफ: उत्तर. प्रवेश दक्षिण. सर्वेस लेन, पूर्व. प्लांट सं. 20 परिणाम: प्लॉट सं. 22

दिनांक: 02.04.2025, स्थान: दिल्ली

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी

ONGC ओएनजीसी ONGC ONGC

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 5ए-5बी, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंतकुंज, नई दिल्ली-110070

CIN: L74899DL1993GOI054155 | वेबसाइट: www.ongcindia.com | ईमेल: secretariat@ongc.co.in

पोस्टल बैलेट नोटिस और रिमोट ई-वोटिंग

एलएडद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी नीचे उल्लिखित विशेष व्यावसायिक मद पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट के जरिए से अपने सदस्यों की मंजूरी मांग रही है:-

| क्रम सं. | रिजॉल्यूशन का विवरण | रिजॉल्यूशन का प्रकार |
|----------|--|----------------------|
| 1. | ओएनजीसी विदेश लिमिटेड द्वारा बीज रोबुटा एनर्जी मॉड्यूलिक लिमिटेड को अधिम और उक्त अधिमों को प्रतिबंध प्रारंभिकता शेरों में परिपूरित करना। | सामान्य |
| 2. | "ओबीएल ओवरसीज आईएफएससी लिमिटेड" द्वारा "मोज एलएनजी 1 फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड" को वरिष्ठ ऋण प्रायोजित करना। | सामान्य |
| 3. | "मोज एलएनजी 1 फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड" को प्रायोजक वरिष्ठ ऋण के लिए "कंपनी" द्वारा गारंटी समर्थन। | सामान्य |

व्यावसायिक विवरण और ई-वोटिंग के निर्देशों के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ongcindia.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट <https://www.bseindia.com>, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <https://www.nseindia.com> और ई-वोटिंग एप्लिकेशन यानी नेशनल इन्फोरेटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध है।

यह पोस्टल बैलेट कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित (कंपनी प्रवर्तन और प्रशासन) नियम, 2014 (नियम) और संबंधी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार जारी किया गया है।

पोस्टल बैलेट नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश, यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ उन सदस्यों को 02.04.2025 को ई-मेल द्वारा भेज दिए गए हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम चुकवार, 28 मार्च, 2025 ("कट-ऑफ तारीख") को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तारीख को कंपनी की चुकता इन्वेंट्री शेर पूंजी में उनके द्वारा धारित गए शेरों के अनुपात में होंगे।

सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए NSDL को नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि चुकवार, 03 अप्रैल, 2025 को सुबह 10:00 बजे IST से शुरू होगी और शुक्रवार, 2 मई, 2025 को शाम 05:00 बजे IST समाप्त होगी। इसके बाद NSDL द्वारा ई-वोटिंग नॉडबलू को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों की सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगी। केवल वे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए एलएडवारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एक बार सदस्य द्वारा वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स ए. के. रस्तोगी एंड एसोसिएट्स, प्रिवेट लिमिटेड कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली के श्री ए. के. रस्तोगी, (सी.पी. संख्या 22973 और एफसीएन 1748) को पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए संपीक्षक नियुक्त किया है।

किसी भी पूछताछ के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के इंटरनेट-आधारित अनुभाग पर उपलब्ध शेरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैन्युअल देख सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी मन्ना को अनुरोध भेज सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम निर्धारित समय के भीतर घोषित किए जाएंगे और उक्त परिणाम के साथ-साथ स्मृतिनाइजर की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.ongcindia.com और NSDL की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर रखी जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित किया जाएगा।

नोट:

- भौतिक मॉड में शेर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी विवरण यानी पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर को आरटीए (भौतिक शेर) के साथ अद्यतन करें और सीपीए फॉर्म में शेर रखने वाले सदस्यों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी के साथ अपने केवाईसी और नामांकन को अद्यतन करने के लिए अनुरोध किया जाता है, यदि संबंधी मास्टर परिपत्र संख्या 3/बी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 दिनांक 07.05.2024 के अनुसार पहले से ऐसा नहीं किया गया है।
- कंपनी से नियमित और समय पर संचार प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से फिर से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (यदि शेर इलेक्ट्रॉनिक मॉड में रखे गए हैं) या आरटीए/कंपनी (यदि शेर भौतिक मॉड में रखे गए हैं) के साथ अपने ई-मेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

एएसडी/-

(रजनी कान्त)

02.04.2025

नई दिल्ली

कंपनी सचिव, (एफसीएन: 4291)

यूको बैंक

UCO BANK

शाखा कार्यालय: विकासपुरी (1981) नई दिल्ली

कच्चा कार्यालय [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के तहत यूको बैंक, विकासपुरी शाखा, नई दिल्ली के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.01.2025 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता/गारंटर- 1. श्री अरुण आलम पुत्र मोहम्मद असिक (उधारकर्ता) 2. श्री अजहर आलम पुत्र मोहम्मद असिक (सह-उधारकर्ता) 3. श्री अजहर आलम पुत्र अद्वुल रहमान (गारंटर) को नोटिस में उल्लिखित राशि 01.04.2025 तक रु. 21,16,744.80 (रुपये इक्कीस लाख सोलह हजार सात सौ चौबीस रुपये एवं अस्सी पैसे मात्र) (31.10.2016 तक ब्याज सहित) की राशि उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा गया है। उधारकर्ता/गारंटर उक्त राशि को चुकाने में विफल रहे हैं, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर 01 अप्रैल 2025 को कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों का साथ लौटा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर 03.01.2025 तक रु. 21,16,744.80 (रुपये इक्कीस लाख सोलह हजार सात सौ चौबीस रुपये एवं अस्सी पैसे मात्र) (31.10.2016 तक ब्याज सहित) की राशि और उस पर ब्याज यूको बैंक, विकासपुरी शाखा, नई दिल्ली के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुगतान के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है।

अधिल संपत्ति का विवरण

प्लेट नंबर सी/055/4 के रूप में अभिज्ञात आवासीय प्लेट, चौबी मंजिल, टॉवर/ब्लॉक-सी, आग्रवाली संवर्धन पार्क, प्लॉट नंबर जीएच-05, टैक जोन-IV, नोडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित अधिल संपत्ति के सभी टुकड़े एवं अंश।

इससे फिर हुआ:

उत्तर पश्चिम: सड़क

दक्षिण पश्चिम: प्रवेश द्वार, प्लेट नंबर सी-054/4

उत्तर पूर्व: खुला क्षेत्र

तिथि: 01.04.2025 स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

VIT BREAKS INTO THE WORLD'S TOP 100 UNIVERSITIES

THE ONLY PRIVATE UNIVERSITY IN INDIA TO FEATURE IN ALL THE 3 CATEGORIES

WORLD UNIVERSITY RANKINGS By Subject 2025

Source: <https://www.topuniversities.com/subject-rankings>

VITEEE 2025 Last Date Extended to 7th April, 2025

8. TECH ADMISSIONS

For more details: ☎ +91-44-462 77 555 | ✉ btechapplication@vit.ac.in | 🌐 www.vit.ac.in

पंजाब एण्ड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank

शाखा: मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, जोन: दिल्ली-II

चल संपत्ति (स्वर्ण आभूषण) की विडो के लिए सार्वजनिक सूचना

नीलामी की तिथि 15.04.2025 (केवल नीलामी के माध्यम से विडो)

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता को सूचित किया जाता है कि सुरक्षित लेनदार के पास निरवरी रखी गई नीचे वर्णित चल संपत्ति को 15.04.2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पंजाब और सिंध बैंक, सुरक्षित लेनदार को श्रीमती मोनिका लांबा पत्नी: हरीश लांबा (उधारकर्ता) से देय राशि की वसूली के लिए 'जैसी है वैसी स्थिति में' बेचा जाएगा।

| शाखा का नाम | उधारकर्ता(ओं) का नाम और पता | स्वर्ण आभूषणों का विवरण | सकल वजन (ग्राम में) | शुद्ध वजन (ग्राम में) | शाखा प्रबंधक और संपर्क नं. |
|----------------------------|---|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली | उधारकर्ता: श्रीमती मोनिका लांबा पत्नी: हरीश लांबा हाउस नंबर 1/67 गोल चक्कर पार्क के पास, रमेश नगर परिसर दिल्ली 110015 | हार: 02 टोप: 04 | 95.81 43.82 | 80.18 | |